



फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा
कानाराम बनाम गंगा वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-141/2025

तारीख हुकम	हुकम कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>09.09.2025</p> <p>23/09/25</p>	<p>वादी के अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 18.11.2025 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने पृथता पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबू पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी वकील ने पृथता पत्र वास्ते वाद विद्धे करने बाबू पेश कर निवेदन किया कि उक्त अन्वत सदर का वाद माननीय न्यायालय में तलबी हेतु मुफ्त है। उक्त अन्वत के प्रकरण में हमारे गांव के मंजिल वीणों ने आपसी समझौता करके रजिनामा करवा दिया है, इसलिए हम उक्त को अपने नहीं पढाना चाहते हैं तथा उक्त राजस्व वाद को इसी स्तर पर विद्धे करता चाहते हैं। अतः निवेदन है कि उक्त अन्वत के प्रकरण को विद्धे का आदेश फरमावे। वादी का पृथता पत्र स्वीकार करता न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का पृथता पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद की कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार डीकर दायित्व हस्त हो। संख्या से एक काम हो।</p>	<p></p> <p>अ. कानाराम</p> <p>पुचान हरी</p> <p>वेणु</p> <p>23/9/25</p> <p></p>